बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
संकल्प

579 (S)
17/01/18

विषय :– पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू संचालन एवं प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ आधारित परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) का गठन।

राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से सड़क मार्ग द्वारा राजधानी पटना की यात्रा 5 घंटे में तय करने के राज्य सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़को के प्रभावी नेटवर्क के साथ अनेकों लघु/वृहद् पुल–पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। पुलों एवं पथों के निर्माण एवं पुनरूद्धार कार्यों में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। गुणवत्ता पूर्ण सड़कों एवं पुलों को त्वरित गति से निर्माण हेतु परियोजनाओं का सतत अनुश्रवण एवं कुशल प्रबंधन करना आवश्यक है।

2. पिछले वर्षों में, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत पथ एवं पुल परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय आकार में काफी वृद्धि हुई है एवं कार्यान्वयन की पद्धति एवं contractual स्वरूप में काफी भिन्नता हो गया है। उदाहरणार्थ पूर्व में एफ–2 एकरारनामा के तहत् कार्यों का कार्यान्वयन होता था जबकि वर्तमान में SBD, CMBD, MBD, EPC, PPP, FIDIC contractual system इत्यादि का उपयोग कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में कई regulatory clearance की आवश्यकता एवं परिस्थितिजन्य issues यथा Environmental/Forest clearance, Road Safety issues, Land Acquisition issues, Mining issues इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं जिनके वृहद आर्थिक एवं कानूनी परिणाम होते हैं। बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेषकर IT के इस्तेमाल होने से योजनाओं के अनुश्रवण के लिए thematic आवश्यकता को देखते हुए पूर्व के सृजित पदों को वर्तमान् में बढ़ोत्तरी करने के साथ–साथ विशेषज्ञता आधारित विशेष नये पदों की सृजन अपरिहार्य हो गया है, क्योंकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर कृत कार्रवाई एवं प्रगति के सूक्ष्म एवं ससमय अनुश्रवण किया जाय ताकि वर्तमान के परिवर्तित परिवेश में परियोजनाओं के क्रियान्वयन कानूनी जटिलता एवं प्रतिकूल आर्थिक परिणाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

3. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित कराई जा रही योजनाओं के सफल एवं सुचारू ढंग से प्रबंधन के लिए तत्काल एक परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) गठन किए जाने की आवश्यकता है। पथ निर्माण विभाग में विभिन्न उपभागों में अलग–अलग IT System में अलग–अलग Platform एवं Vendor द्वारा IT का उपयोग किया जा रहा है जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने की संभावना है। IT Implementation का, परियोजनाओं में अनिवार्यता एवं IT से संबंधित विभाग में विशेषज्ञता का अभाव के कारण IT से संबंधित निर्णय लेने में कठिनाई एवं विलम्ब भी होता है , साथ ही IT का उपयोग एवं इसके Effectiveness का मूल्यांकन तकनीकी स्तर पर करना संभव नहीं हो पाता है। जिसके कारण Public Money का व्यय अनुपयोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। तद् आलोक में पथ निर्माण विभाग में आवश्यकताओं के अनुरूप स्वावलम्बी रूप से विशेषज्ञ आधारित सक्षम IT Wing के भी गठन को Project Management Unit (PMU) में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) के गठन से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को गुणवत्ता पूर्वक निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने में सहायता मिलेगी साथ ही परियोजनाओं को क्रियान्वयन के क्रम में उत्पन्न techno legal एवं financial issues के समाधान हेतु विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उचित समन्वय कर अनुश्रवण का सफल संचालन किया जाएगा।

विभाग में परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु, आवश्यकता के अनुरूप विशेषज्ञ आधारित परियोजना प्रबंधन ईकाई (PMU) के लिए आवश्यक कार्यबल में से, बिहार विकाश मिशन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संभावित विशेषज्ञों के पदों को प्रस्तावित PMU के स्वरूप में समाहित नहीं किया गया है।

4. उपर्युक्त के आलोक में क्रियान्वित कराई जा रही योजनाओं के सफल एवं सुचारू ढंग से प्रबंधन के लिए तत्काल एक परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) गठन किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) में निम्न पदों का समावेश एवं नियोजन निम्नलिखित शर्त्तों पर किया जाता है :–

Sl. No.	Type of Requirement	Role	Qualification & Experience	No. of Post	Fixed Pay (Per Month in Rupeess)
1.	Professional Support Service Expert	Professional financial expert	MBA or PG Diploma in Finance/Chartered Accountant Minimum 10 years post qualification in finance, preferably in Central / State Government / PSU in multi-lateral development projects	1	100000.00
2.	Professional Support Service Expert	Technical Support	M.Tech in Civil Engineering / Structural Engineering	10	60000.00
3.	Thematic Expert (for techno legal issues)	Legal Expert	Bachelor / Master's degree in Law from reputed institutions. Minimum 10 years of post qualification experience in legal contractual matters of construction projects or company affairs. At least 5 years experience in legal issues related with Govt. Works Department.	2	100000.00
Sub Total :				13	
IT Wing					
4.	Deputy Director (IT)	Overall Managerial and IT functions of the IT wing	B. Tech (CS/ECE+MBA) Minimum 15 Years Experience	1	100000.00
5.	System / Infrastructure Analyst	Creating and managing IT environment, Managing routers an layer 3 Swiches, Network	BE/B. Tech (CS,ESC,CE) Minimum 08 Years Experience	1	60000.00
6.	Programmer Analyst	Developing designing & testing softwares preferably in.net, SQL, Java, J2EE, PHP, Python,	BE/B. Tech (CS/E&C,CE)/MCA Minimum 08 Years Experience	1	60000.00

7.	Network Hardware Administrator	Managing routers an layer 3 swithchs, server Administration, linux OS, WindowsOS, ILL, Online	MCA/BE/B.Tech (CE, CS, E&C) Minimum 08 Years Experience	1	60000.00
8.	Software Developer	Work on.net, PHP, SQL server 2008 & higher as backend, crystal reports	MCA/BE/B.Tech (CE, CS, E&C) Minimum 08 Years Experience	2	60000.00
9.	Database Administrator	SQL server 2008 & higher, MSSQL, Handle large databases, Replication of databases	MCA/BE/B.Tech (CE, CS, E&C) Minimum 05 Years Experience	1	50000.00
10.	Network Support Staff	Work efficiently on MS office, Typing, Data handling etc.	Graduate with Diploma in Computer Minimum 01 Year Experience	1	15000.00
Sub Total:				8	15000.00
Grand Total:				21	

उपर्युक्त पदो को विज्ञापन द्वारा संविदा के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। इसमें राज्य के आरक्षण नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य की अवधि दो वर्ष की होगी, जिसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा।

5. प्रस्तावित परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) के स्थापना व्यय एवं कम्प्यूटर उपकरणों, लेखन सामग्री तथा अन्य उपस्करों के मद में संलग्न विवरणी (यथा परिशिष्ट–I) के अनुसार कुल 3,57,60,000.00 (तीन करोड़ सन्तावन लाख साठ हजार रूपये) दो वर्षो के लिए अनुमानित व्यय संभावित है, जिसका वहन मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 80 – सामान्य लघु शीर्ष 001–निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या–41 उप शीर्ष 0001 निदेशन विपत्र कोड–41–3054800010001 विषय शीर्ष 0001.28.02 संविदा सेवायें से विकलनीय होगा।

6. अतः पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू संचालन एवं प्रबंधन हेतु, दो वर्षो के लिए 357.60 लाख रूपये के व्यय पर विशेषज्ञ आधारित परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) का गठन किया जाता है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17.1.18

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र०11 / विविध–03–11 / 2017 579 (S) पटना, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई– गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (द्वारा आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

17.1.18

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– प्र०11 / विविध–03–11 / 2017 579 (S) पटना, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.1.18

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– प्र०11 / विविध–03–11 / 2017 579 (S) पटना, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.18

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– प्र०11 / विविध–03–11 / 2017 579 (S) पटना, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.18

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– प्र०11 / विविध–03–11 / 2017 579 (S) पटना, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिलाधिकारी / सभी उपायुक्त, बिहार / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना / विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.18

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– प्र०11 / विविध–03–11 / 2017 579 (S) पटना, दिनांक 17/01/18

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

17.1.18

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव